सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0-272202
Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

सूचना

एतद्द्वारा शासनादेश सं0-1168/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी0सी0, दिनॉक-27 अक्टूबर, 2021 के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्रबन्धकों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2021-22 हेतु बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नवीन महाविद्यालय खोलने अथवा संचालित महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषय/पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु एक साथ प्रक्रिया प्रारम्भ है, अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु आनलाईन आवेदन किया जायेगा जिसका वेबसाईट **https://henoc.upsdc.gov.in** है इसके लिए आफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अनापत्ति हेतु आनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि-31 दिसम्बर, 2021 है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः- शासनादेश की छायाप्रति।

भवदीय

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्र सं0-186/सि0वि0वि0/सम्बद्धता/2021 **दिनांक 11/11/2021**

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बद्ध-महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्त शासनादेश का भलिभॉति अध्ययन कर लें एवं नियमानुसार समय अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कर लें।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
6. सहायक कुलसचिव(सामान्य परीक्षा/गोपनीय), सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
7. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालय के कालेज लागिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

संख्या–1168/सत्तर–2–2021–16(11)/2017 टी0सी0

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

Raghu 2839 28/10/2021

ARL Atul 28/10/21

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 **लखनऊ: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2021**

विषय:– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानो के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु (आगामी शिक्षा सत्र के लिये) अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1018/सत्तर–2–2020–16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 17.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक शिक्षा सत्र 2021–22, 2022–23 एवं आगामी शैक्षिक सत्रो के लिये उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु समय–सारिणी निर्धारित की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17.11.2020 द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक शिक्षा सत्र 2022–23 के लिये उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु निम्नवत् समय–सारिणी निर्धारित की गई है:–

क्र0	कार्यवाही	शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता के प्रकरणों को निस्तारित करने की समय-सीमा (आगामी शिक्षा सत्र के लिए)	
		प्रथम चक्र	**अन्तिम चक्र**
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	**दिनांक 31 अक्टूबर तक।** (1) 31 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र में विचारणीय होंगे। (2) जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हताएं	**दिनांक 31 दिसम्बर तक।** (1) 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र हेतु

		पूर्ण करते हैं, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। इसे एन0ओ0सी0 निर्गत होने के पूर्व सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता/आश्वासन नहीं माना जायेगा।	विचारणीय होंगे। प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	**दिनांक 15 दिसम्बर तक।** (1) खतौनी का सत्यापन। (2) संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा के लिए स्थलीय निरीक्षण। (3) सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।	**दिनांक 31 जनवरी तक** प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/ निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	**दिनांक 31 दिसम्बर तक।**	**दिनांक 15 फरवरी तक।**
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	**दिनांक 15 जनवरी तक।** (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 05 जनवरी तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा । (2)पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य, सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। (3) पैनल में एक ही अधिकारी को बार-बार सम्मिलित न किया जाये। पैनल में अलग-अलग अधिकारियों को नामित किया जाय, जिससे निरीक्षण कार्यों में विलम्ब न हो। (4) पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु समय से न जायें तथा जिनकी सत्यनिष्ठा	**दिनांक 28 फरवरी तक।** (1)अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 18 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा (2) प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

		की शिकायत हो, उनके विरूद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये। (5) पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।	
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	**दिनांक 15 फरवरी तक।** (1)प्रस्ताव/अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये। (2)निरीक्षण आख्या अपूर्ण एवं भ्रामक न हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा। (3)समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।	**दिनांक 31 मार्च तक।** प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 28 फरवरी तक।**	**दिनांक 15 अप्रैल तक।**
7	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 31 मार्च तक।**	**दिनांक 15 मई तक।**
8	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 30 अप्रैल तक।**	**दिनांक 15 जून तक।**

कृपया उक्त समय–सारणी एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए प्रकरणों का निस्तारण ससमय करें।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

संख्या–1164(1)/सत्तर–2–2021, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।

2– समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

4– निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.,योजना भवन, लखनऊ।

6– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी।

7– अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव

Draft-2019-20 (P)